

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 57-एफ-1-15-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, सरवनिया महाराज, जिला नीमच को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् सरवनिया महाराज अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	नीमच	जावद	नगर परिषद्, सरवनिया महाराज	ग्राम पंचायत, सरवनिया महाराज का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 58-एफ-1-17-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, बैराढ़, जिला शिवपुरी को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद्, बैराढ़, अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	शिवपुरी	पोहरी	नगर परिषद्, बैराढ़	ग्राम पंचायत, बैराढ़, भदेरा, कालामढ़, पचीपुरा, अमरगढ़, जौदोली, वमनपुरा, अमरौदा-खुर्द.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 59-एफ-1-19-2011-अठारह-3—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर परिषद्, महाराजपुर, जिला छतरपुर को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगरपालिका परिषद् महाराजपुर अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	क्षेत्र का नाम (3)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (4)
1.	छतरपुर	नगरपालिका परिषद्, महाराजपुर	नगर परिषद्, महाराजपुर का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.